

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु० न० 3

दि० 5-8-13

शम प्रसाद बनाम केशूराम को

प्रति पत्र दि० 08/09/2013

5-8-13 वाली की ओर से पत्र

प्रति पत्र दि० 08/09/2013 के

विनिर्गत इस के वकील श्री

मनोज शर्मा Adv. ने पेश

किया। रिपोर्ट की गई। हर्ष

व्यक्तिगत के जरिये नोटिस

तलब है। पत्रावली दि० 21/8

को पेश है।

2132-34
2-8-13

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (कराची)

21/8/13

वाली वकील उप०। अधीन केशूराम

का नोटिस वादगीनील प्राप्त नहीं। तलबीपत्र

टोडाभीम कावजूद सूचना उपस्थित नहीं

है। शावा प्रबंधक 81335 टोडाभीम की

ओर से श्री रामशरीर गुहा Adv. ने वजालत

काम पेश किया। 10.00 का पत्र रिक्वायरी

किसका तामील व अंग्रेज अदेश दिनांक

25-9-13 को पेश है।

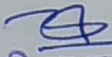
न्यायालय उप जिला कलक्टर दोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
19.3.19	वकुलाय उप/गतानुसार दि 28.5.19 को पेश हो
28.5.19	वकुलाय उप/अप्रार्थी नं. 1 का नोटिस तलबना पेश किया तलबी जारी कर / दिनांक 1.7.19 को पेश हो
1.7.19	वकुलाय उप/अप्रार्थी नं. 1 का रजि. 10 नोटिस तलबना पेश करें / दिनांक 6.8.19 को पेश हो
6.8.19	वकुलाय उप/अप्रार्थी के पुत्र या नोटिस लामील हो गया है किन्तु वह उपस्थित नहीं है अतः अप्रार्थी नं. 1 के पिकर एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है मुकदमा नं. 106/2009 इनवानी रामपसाद v/ केशुराम निर्गम दिनांक 4-9-12 को जिला अभिलेखागार से तलब किया गये। पत्रावली दिनांक 19.8.19 को पेश हो
19.8.19	प्रार्थी वकील उप/मूल पत्रावली जिला अभिलेखागार कोर्टोरी से प्राप्त होकर पत्रावली के संलग्न होकर पेश हुई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जाह्न दीवानी स्वीकार करते हुए मूल दावा पुनः नमूदा पर लेने का कथन किया। प्रार्थी वकील की बहस पर कथन अनन किया तथा पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जाह्न दीवानी एवं मूल पत्रावली इनवानी रामपसाद बनाम केशुराम का अवलोकन किया। न्यायदिवस में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

अतः प्रार्थना पत्र आदेश १ नियम १ आ दीवानी सीमा (वि)
जाता की पत्रावली के सल शमा हिका नम्बर से कम हो
मूल दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।


उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करोली)